HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1979/2025

Jitendra Yadav @ Aryan S/o Shri Gulab Chand Yadav, Aged About 33 Years, R/o Plot No. 6 Heerapura, Police Thana Chitrakoot, Jaipur (West) (Raj). (The Accused Presently In Judicial Custody Of Central Jail, Jaipur).

----Accused-Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Neeraj Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP Mr. Ashish Gausinga

---

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

23/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना चित्रकूट जिला जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 340/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि परिवादी जिसने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई वह पीडब्ल्यू 9 सूरज यादव के रूप में परीक्षित हुआ है, जो अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है। पीडब्ल्यू 4 डॉ. अनुपम जौहरी ने भी अपने बयान में यह कहा है कि यदि कोई व्यक्ति चलती हुई मोटरसाईकिल पर शराब पीए हुए हो एवं बिना हेलमेट हो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 में वर्णित चोटें आना संभव है। पीडब्ल्यू 11 प्रकाश यादव ने मृतक के मोटरसाईकिल से गिर कर सिर पर चोटें आने के कारण से उसकी मृत्यु होना बताया है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित अन्य

साक्षीगण अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना की रिपोर्ट में मृतक मिट्ठू यादव दोपहर एक बजे घर जा रहा था और अभियुक्तगण आर्यन यादव, अजय यादव ने मिलकर मिट्ठू यादव के साथ मारपीट की तथा सिर में गहरी चोट आने से मृतक मिट्ठू को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक मिट्ठू यादव की हालत खराब होने के कारण से उसकी टांग व सिर का ऑपरेशन किया गया। घटना की रिपोर्ट में घटना कारित होते हुए देखने का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। प्रकरण में श्री सुरेश चन्द की उपस्थिति में सलीम खान की दुकान व गोदाम पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को वजह सबूत जब्त किया गया, जिसमें सीसीटीवी कैमरों में मृतक मिट्ठू के साथ हुई मारपीट की घटना आई है। विश्लेषण सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और फर्द जब्ती पेनड्राइव में अंकित रिकॉर्डिंग में अंकित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मृतक की 2–3 थप्पड़ मारने और फिर अपने हाथ से गर्दन व सिर पकड़कर धक्का देकर उसे जमीन पर गिराने और अपने पैर से लगातार 4–5 चोटें उसके सिर पर मारना बताया है। पीडब्ल्यू 4 डॉ. अनुपम जौहरी ने मृतक के शरीर पर कुल 6 चोटों का होना बताया है, उक्त सभी चोटें मृत्यु से पूर्व कुंद हथियार से कारित होना बताया गया है। मृतक के सिर में लगी चोटों के कारण से उसकी मृत्यु होना बताया गया है। मृतक द्वारा

शराब पीने के कारण से मोटरसाईकिल के भिड़ने से आई उसकी चोटों के कारण से मृत्यु हुई हो, यह प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर गुणावगुणों पर विचारण न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है। यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए ऐसी स्थिति में परिवादी के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने के निवेदन मात्र से प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो जाता है। अन्वेषण अधिकारी व फर्द जब्ती डीवीआर से संबंधित महत्वपूर्ण साक्षी परीक्षित होने शेष हैं।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **जितेन्द्र यादव उर्फ आर्यन पुत्र श्री गुलाब चंद यादव** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /03